



वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

निविदा प्रपत्र

1. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/एजेंसी का नाम (हिन्दी में):
2. Name of Person/Agency Participate in auction (In English):
3. (A) पत्राचार का पूरा पता:
- (B) E-mail ID:
4. संपर्क मोबाइल नं०:
5. पंजीकरण संख्या :
6. पैन कार्ड संख्या :
7. वैंट/जी०एस०टी०नं०:
8. वोटर आई०डी० संख्या/आधार संख्या :-
9. अग्रधन की राशि 5000/- (पाँच हजार) का डिमांड ड्राफ्ट संख्या
दिनांक

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं तथा निविदा में दी गई सभी शर्तें मंजूर हैं। इस प्रपत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, वर्ष 2018 से 2020 तक का आई०टी०आर० की पावती तथा वोटर आई०डी० कार्ड अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर निविदा के माध्यम से भाग लूँगा तथा कार्यादेश प्राप्त होने पर सात दिनों में पूरी राशि जमा कर थ्रेडिंग/कटिंग करने के पश्चात् कागजातों का उठाव सुनिश्चित करूँगा। अन्यथा मेरी दावेदारी समाप्त हो जायेगी। किसी प्रकार का विवाद होने पर उसका निपटारा पटना उच्च न्यायालय क्षेत्र में होगा।

दिनांक :

स्थान :

Ramkrishna Kumar
आविष्कृत/काष्ठिस्ताक्षर
AKumar




वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

निविदा की शर्तें

इस सम्बन्ध में शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में 2018 से 2020 तक उपयोग किये गये उत्तर पुस्तिकाओं की निलामी हेतु सार्वजनिक निलामी निविदा द्वारा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा सीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा कुलसचिव, वी०के०एस०यू०, आरा के नाम से प्राप्त किया जायेगा।
3. निविदा शर्तें प्राप्त करने हेतु निविदादाताओं को रू० 5000/- (पाँच हजार) मात्र का बैंक चालान, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, वी०के०एस०यू०, आरा अथवा बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के नाम से जमा करना होगा। यह राशि Non-Refundable होगा
4. बैंक चालान में खाता सं० 1611446692 में राशि जमा होगी।
5. निविदा में भग लेने वाले एजेन्सी को अग्रधन के रूप में 25000/- (पच्चीस हजार) रू० जमा करना होगा, जो निविदा दर स्वीकृति के पश्चात् सामग्री उठाने में असमर्थ होंगे, उनका अग्रधन जब्त कर लिया जायेगा।
6. निविदा में सफल चयनित एजेन्सी को आधार मूल्य का 2.50 लाख अग्रिम के रूप में जमा करना है तथा अनुपयोगी कागजातों के तौल के आधार पर वास्तविक मूल्य का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या बैंक चालान के द्वारा कुलसचिव, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, वी०के०एस०यू० शाखा आरा के खाता सं० 1611446692 में जमा करना होगा।
7. यदि अधिकतम दर देने वाले व्यक्ति/एजेन्सी निर्धारित समय पर आधार मूल्य की शेष राशि जमा करने एवं निविदा की अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उनकी अर्हता निरस्त का दी जायेगी।
8. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्तियों/एजेन्सियों से अनुरोध है कि दरें देने से पूर्व स्थल निरीक्षण कर विक्रय होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अवश्य कर लें।
9. क्रय किये गये रद्दी कागजातों (उत्तर पुस्तिकाओं) को खुला बाजार में बिक्री करना सख्त मना है। इसे सीधे पेपर मील में ही बिक्रय की जा सकती है।
10. रद्दी कागजातों का क्रय/विक्रय पर देय GST यदि कोई हो तो GST का भुगतान क्रेता को ही करना होगा।
11. रद्दी कागजातों (उत्तर पुस्तिकाओं) का बिक्री क्रय-बिक्रय समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष तौल कराकर किया जायेगा।


वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
08.08.2024
Akumar